

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)



आदेश पत्रक

39

अती मुन खातुन

बनाम

हसना झंखारी वगैरह

क्र०/ तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	<p>अभिलेख सं०-एम...30.../2018 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी सुनाहाबु (राँची) के अप्राथमिकी सं०-08/18 दिनांक-8-3-18.. प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि उद्यान में खाने में खर नहीं बनाने देनी की लेकर उभय पक्ष में तनाव है।</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति गंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति गंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 10000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 06-04-18 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित</p> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p>	

06/04/18

चीफ़ ऑफ़ दिसट्रिक्ट जज पंचायत बुनाह अपि में लाला दिनांक 27-04-18 में रखे।

दिनांक

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

एजरी / समय पर जमान दारिगत की
दिनांक 28-09-18 को रखे।


10/10/18

28-09-18

आभिलेख उपस्थापित / समय पर
अनुपस्थित / समय पर जमान दारिगत
की दिनांक 12-10-18 को रखे।


28/10/18

12-10-18

आभिलेख उपस्थापित / प्रथम पर
अधिकतम एजरी दिनांक पर अनुपस्थित /
समय पर जमान दारिगत की दिनांक
02-11-18 को रखे।


14/11/18

02-11-18

आभिलेख उपस्थापित / प्रथम पर
अनुपस्थित दिनांक पर अधिकतम एजरी,

दिनांक

इकाई वाद में 6 (छः) माह की अवधि
पूर्ण हो चुकी है अर्थात् वाद काल -
बाधित हो गया है। अतः वाद में
अभिलेख की कारवाई बन्द की जाती

३७

~~02/11/19~~

3/11/19

3

1